

प्रेषक,

डी० के० मित्तल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, 30 प्र०,
कानपुर ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग १२१ लखनऊ दिनांक :- मार्च 17, 1982.

विषय :- इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड रूरल टेक्नोलाजी, इलाहाबाद ।
को एकेडेमिक आटोनामी दिया जाना ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आल इण्डिया काउन्सिल फार टेक्निकल एजुकेशन ने अपनी बैठक दिनांक 17 मार्च, 1975 में यह मत व्यक्त किया था कि प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय तथा कुछ चुनी गयी अच्छी संस्थाओं को एकेडेमिक आटोनामी दी जानी चाहिए । इस नीति के आधार पर सहायक शिक्षा सलाहकार १ टेक्निकल १ भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर ने इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड रूरल टेक्नोलाजी, इलाहाबाद को एकेडेमिक आटोनामी दिये जाने की संस्तुति की है । समयक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड रूरल टेक्नोलाजी इलाहाबाद को निम्नलिखित शर्तों के साथ संस्था में चल रहे पाठ्यक्रमों के लिए स्वायत्ता १ आटोनामी प्रदान करना सिध्दान्त स्वीकार कर लिया है :-

- १११ प्रारम्भ में यह केवल तीन वर्षों के लिये दी जाय और मूल्यांकन के उपरान्त अवधि बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जाय ।
- १२१ संस्था द्वारा स्वयं डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा और शासन द्वारा उसे प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रदान किये जा रहे डिप्लोमा के समकक्ष माने जाने के आदेश प्रसारित किये जायेंगे ।
- १३१ स्वायत्ता १ आटोनामी १ का सुपरविजन मानीटरिंग एवं कन्ट्रोल निम्नानुसार गठित एक समिति करेगी :-

१११ सचिव प्राविधिक शिक्षा विभाग ।

अध्यक्ष

१२१ निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर ।

सदस्य

§3§ सहायक शिक्षा सलाहकार § टेकनिकल § भारत सदस्य सरकार उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर । :- सदस्य

§4§ सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ :- सदस्य

§5§ दो प्रतिष्ठित अशासकीय व्यक्ति जो प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखते हैं । इनका नामांकन प्रदेश शासन द्वारा किया जायेगा :- सदस्य

§6§ इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के दो प्रातनिधि निदेशक को सम्मिलित करते हुए :- सदस्य

उपयुक्त समिति संस्था के प्रायक्रमों का निर्धारण का स्तर, परीक्षाओं की व्यवस्था कोर्सेस का मूल्यांकन तथा नये कोर्सेस आदि का शुरू किया जाना आदि सभी दायित्व निभाएगी ताकि प्रसन्नगत संस्था द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा को प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा के समकक्ष होना सुनिश्चित किया जा सके ।

भवदीय,
₹0/-
§ डी० के० मित्रल §
विशेष सचिव ।

संख्या :- 514§1§/18-प्र० शि० 2-82-105§ सम§ ईडी/81 दिनांक उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. निदेशक, इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, इलाहाबाद ।
3. वित्त § ई-11 § अनुभाग ।
4. नियोजन अनुभाग - 4
5. गोपन अनुभाग - 1

आज्ञा से,
₹0/-
§ डी० के० मित्रल §
विशेष सचिव ।

x दास x/ 15.9.1983